

सत्र परीक्षण संख्या-२१०/२००४

उ० प्र० राज्य बनाम गनेश सिंह

1

न्यायालय-सप्तम, अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली ।

उपस्थित-राम दयाल

(एच०जे०एस०)

सत्र परीक्षण संख्या-२१०/२००४

उ० प्र० राज्य बनाम गनेश सिंह आदि

१- गनेश सिंह पुत्र गिरजा सिंह

२- अशोक सिंह पुत्र गिरिजा सिंह

निवासी गण म०न०२५३फिरोज गॉधी नगर थाना कोतवाली

जनपद रायबरेली ।

३- हरिहर सिंह पुत्र विभूति सिंह निवासी बहवलपुर मजरे कुपरी

थाना हैदरगढ जिला बाराबंकी ।

दौरान विचारण मृतक ।

४- गिरिजा सिंह पुत्र स्व० हौसिला सिंह निवासी बहवलपुर मजरे

कुपरी थाना हैदरगढ जिला बाराबंकी ।

दौरान विचारण मृतक ।

---अभियुक्त

मुकदमा अ०स०-५२०/२००१

धारा-३०२ व १२०बीभा०द०स०

थाना-कोतवाली जिला-रायबरेली

--निर्णय--

१ अभियुक्त गण गनेश सिंह, अशोक सिंह, हरिहर सिंह व गिरजा सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली जिला रायबरेली की पुलिस द्वारा आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-३०२ व १२०बी भारतीय दण्ड संहिता मे प्रस्तुत कर परीक्षण हेतु न्यायालय में दाखिल किया गया । यहां यह उल्लेखनीय है कि इस मामले के अभियुक्त गण **हरिहर सिंह व गिरिजा सिंह** की दौरान विचारण **मृत्यु** हो गयी जिस कारण उक्त दोनो अभियुक्त गण के विरुद्ध पूर्व में ही न्यायालय के आदेश से वाद **उपसमित किया जा चुका है** ।

२ संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी दिनेश प्रताप सिंह द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जिला रायबरेली को इस आशय की दी गयी कि आज दिनांक १८-१२-२००१ को शाम लगभग ६.३० बजे इन्दू सिंह, विक्रम सिंह, भोला सिंह, नरेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह मेरे आवास स्थित सिंह बिहार सिविल लाइन रायबरेली आये और मेरे भाइ सन्त प्रताप सिंह (एस पी सिंह)को अपने साथ दावत खाने के लिये बुलाकर ले गये । कुछ देर बाद प्रार्थी अपने बहनोई गोविन्द सिंह निवासी फिरोज गाँधी नगर म० न० २०१ थाना कोतवाली के घर चला गया और वही बैठकर बातचीत कर रहा था कि समय साम ८.३० बजे लगभग विक्रम सिंह निवासी गोरा बाजार थाना कोतवाली रायबरेली ने टेलीफोन द्वारा सूचना दी कि एस पी सिंह को आंगन होटल के सामने गोली

मार दी गयी है। इस सूचना पर मैं अपने बहनोई के साथ घटना स्थल पर पहुँचा तो देखा कि मेरे भाई गम्भीर रूप से घायल पड़े हैं। काफी भीड़ लगी थी। मैं अपने बहनोई के मदद में अपने घायल भाइ को जिला अस्पताल ले आया और अस्पताल में दाखिल कराकर श्रीमान जी को सूचना दे रहा हूँ।

३ वादी मुकदमा की उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली जिला रायबरेली में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गयी। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना गवाहो के बयान अंकित किये गये। मौके पर जाकर घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया एवं पर्याप्त साक्ष्य पाने पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया और अपने आदेश दिनांकित १८-०९-२००४ से इस निष्कर्ष पर कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। इसे विचारण हेतु सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।

४ सत्र न्यायालय में हाजिर आने के बाद दिनांक १२-०४-२००५ को अभियुक्त गण गनेश सिंह, अशोक सिंह, हरिहर सिंह व गिरजा सिंह को अन्तर्गत धारा-३०२/३४ व १२०बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोपो से आरोपित किया गया। अभियुक्त ने आरोपो से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

५ अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर लगाये गये आरोपो को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी मुकदमा

पी०डब्लू-१ के रूप में दिनेश प्रताप सिंह, पी०डब्लू-२ के रूप में सूर्यबक्स सिंह, पी०डब्लू-३ के रूप में अवधेश बहादुर सिंह, पी०डब्लू-४ के रूप में प्रदीप कुमार, पी०डब्लू-५ के रूप में सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक सतीश कुमार सिंह, पी०डब्लू-६ के रूप में डाक्टर राजेश ओझा, पी०डब्लू-७ के रूप में अजय कुमार सिंह, पी०डब्लू-८ के रूप में डाक्टर आर के मिश्रा व पी०डब्लू-९ के रूप में एच सी शशिकांत मिश्र पैरोकार थाना कोतवाली जिला रायबरेली को परीक्षित कराया गया ।

६ अभियोजन का साक्ष्य समाप्त कर अभियुक्त का बयान धारा ३१३ द० प्र०स० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने घटना से इन्कार किया एवं रंजिशन गवाही दिया जाना कहा एवं यह कथन किया कि वह निर्दोष है । वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं । जमीनी रंजिश के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है ।

७ मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रायबरेली व अभियुक्त गण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

८ विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रायबरेली द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त गण गणेश सिंह, अशोक सिंह ने दिनांक १८-१२-२०११ को वादी मुकदमा के भाई को समय ८.३० बजे शाम कलाम के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में जमीनी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी ।

९ अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में तहरीर कागज संख्या ३क प्रदर्श क-१, तहरीर दिनांकित १९-१२-२००१ द्वारा दिनेश प्रताप सिंह, सन्त प्रताप सिंह को अज्ञात लोगो द्वारा गोली मारने से संबंधित कागज संख्या प्रदर्श क-२, नक्शा नजरी कागज संख्या ६क प्रदर्श क-३, फर्द कब्जे में लेने ४ अदद खोखा कारतूस पीतल के कागज संख्या ७क प्रदर्श क-४, आरोप पत्र कागज संख्या ५क प्रदर्श क-५, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-६, कागज संख्या ८क पुलिस प्रपत्र २११ प्रदर्श क-७, इंजरी प्रमाणित २४६क प्रदर्श क-८, प्रथम सूचना रिपोर्ट की द्वितीय प्रति कागज संख्या ३क/१ प्रदर्श क-९, रपट संख्या ६१ प्रदर्श क-१० आदि प्रस्तुत किया गया है तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी मुकदमा सूखदेव सिंह पी०डब्लू-१ के रूप में दिनेश प्रताप सिंह, पी०डब्लू-२ के रूप में सूर्यबक्स सिंह, पी०डब्लू-३ के रूप में अवधेश बहादुर सिंह, पी०डब्लू-४ के रूप में प्रदीप कुमार, पी०डब्लू-५ के रूप में सेवानिवृत पुलिस उपाधीक्षक सतीश कुमार सिंह, पी०डब्लू-६ के रूप में डाक्टर राजेश ओझा, पी०डब्लू-७ के रूप में अजय कुमार सिंह, पी०डब्लू-८ के रूप में डाक्टर आर के मिश्रा व पी०डब्लू-९ के रूप में एच सी शशिकांत मिश्र के रूप में परीक्षित कराया गया है जिन्होंने घटना को साबित किया है और अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य में कोई विरोधाभाष नहीं है। साक्ष्य में सामजस्य है। प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी अनुचित विलंब के दर्ज

करायी गयी है। पत्रावली में जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे अभियुक्त गण के विरुद्ध लगाये गये आरोप साबित होते हैं। अभियुक्त गण द्वारा घटना को उकसाने के द्वारा कारित किया गया है। अभियुक्त गण लगाये गये आरोप के दोषी हैं।

१० अभियोजन द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त हरिहर सिंह पुत्र स्व० विभूती सिंह निवासी बहवलपुर मजरे कुमरी थाना हैदरगढ जिला बाराबंकी की मृत्यु दिनांक ०९-०८-२०१४ को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र कागज संख्या २४९क/२ पत्रावली पर सलंग्र है तथा अभियुक्त गिरजाबक्स सिंह पुत्र स्व० हौसला सिंह निवासी बहवलपुर मजरे कुमरी थाना हैदरगढ जिला बाराबंकी की भी मृत्यु दिनांक २१-०८-२०१५ को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र कागज संख्या २४६क/१२ पत्रावली पर सलंग्र है। उक्त दोनों अभियुक्त गण के विरुद्ध मुकदमा उनकी मृत्यु के कारण उपसमित किया जा चुका है। अब मात्र उकसाने वाले अभियुक्त गण गणेश सिंह व अशोक सिंह जीवित हैं और उन्हीं के विरुद्ध हत्या करने का अपराधिक षडयंत्र रचने और हत्या कारित करने का मामला विचाराधीन है।

११ बचाव पक्ष की तरफ से २००८(६१) ए सी सी अरुण भानदास पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य १९९५(३२)रामा बनाम उ० प्र० राज्य की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है।

१२ बचाव पक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रथम

सूचना रिपोर्ट अज्ञात में लिखायी गयी है। गोली मारते किसी को नहीं देखा है। अभियुक्त गण को मात्र पुरानी रंजिश के कारण फंसाया गया है।

१३ पी०डब्लू-१ दिनेश प्रताप सिंह ने अपने बयान में घटना दिनांक १८-१२-२०११ की समय ८.३० बजे रात की होना बताया जो आंगन रेस्टोरेंट के सामने हुयी थी। उस समय मैं अपने बहनोई गोविन्द सिंह निवासी फिरोज गांधी नगर के यहां बैठा था। उसी समय विक्रम सिंह जरिये टेलीफोन बहनोई को किया कि एस पी सिंह(सन्त प्रसाद सिंह)को आंगन रेस्टोरेंट के सामने गोली मार दी गयी। सूचना पर मैं तथा बहनोई घटना स्थल पर पहुँचे। भाइ को गोली लगी थी। उन्हें गाडी में लादकर रात में पौने नौ -नौ बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद कोतवाली पहुँचकर रिपोर्ट करायी। कागज संख्या ३क/२ पत्रावली पर शामिल है। दरखास्त मेरे हाथ की लिखी व दस्तखती है जिस पर प्रदर्शक-१ डाला गया है। रिपोर्ट लिखी गयी। कोतवाली से अस्पताल वापस आया तो वहां पर दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। हालत गम्भीर होने पर लखनउ रेफर किया गया। मेरे भाई की दिनांक १९-१२-२००१ को सुबह सात साढे सात बजे मृत्यु हो गयी। मैं अपने भाई के मरने की सूचना कागज संख्या १३ख/३ के रूप में दिया जो पत्रावली पर शामिल है जिस पर प्रदर्शक-२ डाला गया है। घटना वाले दिन शाम लगभग ६.३० बजे विक्रम सिंह, इन्दू सिंह, महेन्द्र सिंह, भोला सिंह, नरेन्द्र सिंह दावत के लिये मेरे भाई को घर बुलाने आये थे।

१४ मेरी भाभी विजमा सिंह इसी प्रकार का एक मुकदमा दीवानी का अभियुक्त अशोक के विरुद्ध दिनांक ०९-०७-२०११ को दायर किया था। उक्त जमीन पहले राय अम्बिका सिंह के नाम थी जिसका बैनामा अभियुक्त अशोक सिंह ने राय अम्बिका सिंह से दिनांक १०-११-१९९८ को कराया था। सन २००३ में मेरी भाभी सिविल जज के न्यायालय में दूसरा मुकदमा विवादित सम्पत्ति के बारे में दायर किया। विवादित जमीन में अशोक सिंह का खण्डहर नुमा होटल है। मेरे भाइ एस पी सिंह ठेकेदारी का काम करते थे। विक्रम सिंह, भोला सिंह, इन्दू सिंह, महेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह मेरे भाइ के साथ व अलग भी ठेकेदारी करते थे। मैंने दरोगा जी को बयान शक के आधार पर दिया था कि इन्ही लोगो ने मेरे भाइ की हत्या की है। फोन करने वाले व्यक्ति से उस समय यह पूछतांछ नहीं की गयी कि भाई को गोली किसने मारी है। मैं अपने भाई को आंगन रेस्टोरेंट के सामने से अस्पताल गाडी से ले गया था। मौके पर भाई को घर से बुलाकर ले जाने वाले इन्दू सिंह, विक्रम सिंह, भोला सिंह, नरेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह घटना स्थल पर नहीं मिले। अवधेश सिंह मेरे सगे मामा हैं जो मुशीगंज सुगर फैक्ट्री कालोनी में रहते थे। जब भाई को उठा कर अस्पताल ले गये तो मेरे हाथ व कपडो पर खून लगा था। रिपोर्ट लिखाने कोतवाली गया तो कोतवाल से भेट नहीं हुयी। मात्र मुंशी से हुयी थी। आवेदन पत्र हाथ साफ करके दिया था। दरोगा जी के साथ घटना स्थल पर गया था। घटना स्थल पर पहली बार पहुँचा तो भाई का स्कूटर घटना स्थल पर था। दुबारा दरोगा जी के

साथ गया तो स्कूटर वहां नहीं था । यद्यपि घटना होते मैंने नहीं देखी थी । इसलिये नहीं बता सकता कि मेरे भाई को मुल्जिमान किस स्थान से गोली मारी थी । घटना स्थल के निरीक्षण के समय कारतूस बरामदगी व सील मुहर करके दरोगा जी लिखा पढी कर रहे थे । कारतूस पीतल टाइप के थे । खोखे भी जीवित नहीं थे । भाई का पंचायतनामा लखनउ में हुआ था । यद्यपि मेरे सामने नहीं हुआ था ।

१५ पी०डब्लू-२ के रूप में अभियोजन द्वारा सूर्यबक्स सिंह को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपने बयान में यह कथन किया है कि घटना आज से लगभग साढ़े सात वर्ष पूर्व की है । मैं उस समय शिव बरन सिंह को गोरा बाजार से शान्ती नगर छोड़ने जा रहा था । उस समय पाँच साढ़े पाँच बजे शाम का समय रहा होगा जैसे ही सिविल लाइन चौराहे पर पहुँचा तब गिरिजा सिंह ने शिवबरन सिंह को आवाज देकर रोका । गिरिजा सिंह अपने होटल में बैठे थे । मैं तथा शिवबरन के बुलाने पर उनके होटल पर पहुँचे उस समय गिरिजा सिंह के पास उसका लडका गनेश सिंह व अशोक सिंह और उनका भतीजा हरिहर सिंह तथा एक व्यक्ति और मौजूद था तब गिरिजा सिंह ने शिवबरन सिंह ने कहा कि अपने दामाद एस पी सिंह को समझा दो कि मेरे बगल में जो प्लाट है । उसके संबंध में विवाद करना छोड़ दे और मुकदमा वापस ले ले नहीं तो अन्जाम अच्छा नहीं होगा । हमारा धैर्य खत्म हो चुका है । **एस पी सिंह की हत्या के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है । उसी समय गिरिजा सिंह के भतीजे हरिहर सिंह**

कलाम नामक व्यक्ति से कहा कि हम लोगो के उपर तमाम मुकदमें चल रहे हैं एक और सही । मुकदमें से बचने का रास्ता हम लोगो को मालूम है तब शिवबरन ने कहा कि आप लोग धैर्य न छोडे मैं अपने दामाद सन्त प्रताप सिंह उर्फ एस पी सिंह को समझाकर विवाद खत्म करवा दूंगा । चलते समय सभी लोग बोले कि यह मामला जल्दी हल कीजिये । हमारे पास समय नहीं है । यह बात घटना के १५ दिन पूर्व की है जिसे मैंने एस पी सिंह की कत्ल के १५ दिन पहले बताया थी । एस पी सिंह को जब गोली मारी गयी । उसके दूसरे दिन दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था । मुल्जिमान दिनांक ०३-१२-२०११ को धमकी दिया था । घटना वाली बात मैंने किसी को नहीं बताया था । जब अपने होटल में शिवबरन सिंह को बुलाया था तभी धमकी देने वाली बात कही थी और कहा था कि अपने दामाद को समझा दो । दरोगा जी मेरा बयान लिये थे तथा हस्ताक्षर भी कराये थे ।

१६ अभियोजन की तरफ से पी०डब्लू-३ के रूप में अवधेश बहादुर सिंह को परीक्षित कराया गया हे जिसने अपने बयान में घटना हुये साढे दस वर्ष से कुछ उपर हो रहा था । कुछ लोग आपस में बात चीत कर रहे थे कि सन्त प्रसाद सिंह को गोली मार दी । इतनी बात मैंने सुना । एस पी सिंह मेरे भांजे थे इसलिये मैं तथा मेरे साथ चाय पीने वाला आदमी जिला अस्पताल रायबरेली पहुँचे तो हमने देखा कि एस पी सिंह को स्ट्रेचर पर लादकर एम्बुलेंस पर लादा जा रहा था । एम्बुलेंस पर बृजेश सिंह,

वीरेन्द्र सिंह, एस पी सिंह की लडकी अर्चना सिंह बैठी थी । उसी एम्बुलेंस में मैं भी बैठाथा । रास्ते में एस पी सिंह होश में थे व कराह रहे थे । **हरचन्दपुर व बछरांवा के बीच ढाढस बधाते हुय मैंने एस पी सिंह से पूछा कि यह सब कैसे तो एस पी सिंह ने बताया कि गिरिजा सिंह के लडके अशोक सिंह और गणेश सिंह व गिरिजा सिंह का भतीजा हरिहर सिंह व एक अन्य आदमी ने** उसे गोली मारा । यह भी बताया कि जमीनी रंजिश के कारण गोली मारी है । दरोगा जी घटना के बारे में पूछतांछ किये थे । घटना के बाद अर्चना की शादी हुयी थी ।

१७ बचाव पक्ष की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी०डब्लू-१ घटना का चक्षु साक्षी नहीं है तथा वह मृतका का सगा भाई है । मात्र सूचनाकर्ता है । उसके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त गण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है ।

१८ अभियोजन पक्ष द्वारा बचाव पक्ष के उक्त तर्क का खण्डन करते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **धारी बनाम उ०प्र०राज्य, ए आइ आर, २०१३ एस सी पेज, ३०८** में यह व्यवस्था दी है कि फौजदारी परीक्षण के मामले में किसी साक्षी का साक्ष्य मात्र इस आधार पर काटा नहीं जा सकता है कि वह पीडित के परिवार का या उसका सगा संबंधी है बल्कि ऐसे मामले में ऐसे साक्षी के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक आकलन व अवलोकन करने के पश्चात ही कोई निष्कर्ष निकालना चाहिये । यदि ऐसे साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय है तो अभियुक्त

को दोषसिद्ध किया जा सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में पी०डब्लू-१ सूचनाकर्ता के रूप में घटना की सूचना जरिये टेलीफोन मिलने पर घटना स्थल पर पहुँचा है तथा उसी द्वारा तहरीर दी गयी है तथा पूर्व में भाई से सिविल लाइन में स्थित प्लाट के विवाद का कथन किया गया है तथा भाई को कौन-कौन घर से बुलाकर ले गये तथा घटना न देखने का कथन किया गया है तथा यह भी इन्कार किया कि भाई को मुल्जिम ने किस स्थान से गोली मारी थी । घटना स्थल से कारतूस बरामद होना कहा है । इस प्रकार इस गवाह द्वारा जो घटना की सूचना मिलने के बाद किया उसी का बयान दिया है जिसके साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है तथा बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई तथ्य जिरह में नहीं लाया जा सका जिससे इसके साक्ष्य पर संदेह किया जा सके ।

१९ बचाव पक्ष की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी०डब्लू-२ मृतक की पत्नी का सगा मामा है तथा पी०डब्लू-३ मृतक का सगा मामा है । पी०डब्लू-४ प्रदीप कुमार भी मृतक का हितैषी एवं मेली मददगार है जो मृतक की ही तरफ बात करेगा । ऐसी दशा में उसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और न ही उसके आधार पर दोषसिद्ध ही की जा सकती है ।

२० अभियोजन की तरफ से बचाव पक्ष के उक्त तर्क का खण्डन करते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय कि **एम सी अली बनाम केरल राज्य ए आइ आर २०१०, एस सी , पेज १६३१ तथा भजन**

सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य, ए आइ आर २०११(७)ए सी सी पेज ४२१ की विधि व्यवस्था दी है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि हितबद्ध एवं रिस्तेदार साक्षियों के साक्ष्य पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है लेकिन उनके साक्ष्य का सावधानी पूर्वक परिशीलन करने के पश्चात ही निष्कर्ष निकालना चाहिये और ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषिसिद्ध किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में पी०डब्लू-२ ने अपने बयान में यह कथन किया है कि मैं और शिवबरन गिरिजा सिंह के बुलाने पर उनके होटल पर पहुँचे। उस समय गिरिजा शंकर के पास उनका लडका गनेश सिंह, अशोक सिंह और उसका भतीजा हरिहर सिंह तथा एक व्यक्ति और मौजूद थे। तब गिरिजा सिंह ने शिवबरन सिंह से कहा कि अपने दामाद सन्त प्रसाद सिंह उर्फ एस पी सिंह को समझा दो कि मेरे बगल में जो प्लॉट है उसके संबंध में विवाद करना छोड़ दे और मुकदमा वापस ले ले नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमारा धर्य खत्म हो चुका है इसलिये एस पी सिंह की हत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

२१ इसी प्रकार पी०डब्लू-४ ने अपने बयान में यह कथन किया है कि **हरिहर सिंह तथा अशोक सिंह व गनेश सिंह ने ललकारा** कि यही एस पी सिंह है मारो बचने न पाय। इन लोगों के साथ कलाम था जिसने ४-५ फायर एस पी सिंह के उपर किया। सन्त प्रसाद सिंह उर्फ एस पी सिंह गिर गये तब हरिहर सिंह ने कहा कि चलो काम तो हो गया तथा

अशोक सिंह ने कहा कि जाओ एस पी सिंह तुम्हारा प्लाट स्वर्ग में रिजर्व करा दिया ।

२२ इससे स्पष्ट है कि गवाहो ने जो देखा सुना था । वही अपने बयान में कथन किया है । इससे स्पष्ट है कि कलाम द्वारा जो गोली मारी गयी है । वह हरिहर सिंह, गणेश सिंह , अशोक सिंह के ललकारने पर मारी गयी है । इस प्रकार अभियुक्त कलाम के विरुद्ध मफरूरी में आरोप पत्र प्रेषित की गयी है तथा उपस्थित अभियुक्त गण अशोक सिंह, गणेश सिंह, हरिहर सिंह का रोल ललकारने में है तथा गिरिजा सिंह को भी अभियुक्त श्रेणी में रखा गया है **जबकि हरिहर सिंह व गिरिजा सिंह की मृत्यु हो चुकी है** । मात्र ललकारने वाले अभियुक्त ही शेष बचे है । उन्ही के बार में साक्ष्य को देखा जायेगा । इस प्रकार गवाहो के बयान पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

२३ बचाव पक्ष का यह भी कथन है कि मृतक की लडकी अर्चना मृतक की पत्नी विजमा सिंह को या किसी भी स्वतंत्र साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है । इससे अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है ।

२४ अभियोजन की तरफ से बचाव पक्ष के उक्त तर्क का खण्डन करते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय की **सन्दीप बनाम उ० प्र० राज्य (२०१२)६ एस सी सी १०७** प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि अभियोजन

द्वारा न्यायालय में परीक्षित गवाहो के बयान विश्वसनीय एवं सत्य है तो स्वतंत्र गवाहो को परीक्षित न कराये जाने मात्र से अभियोजन कथानक के लिये घातक नहीं होगा ।

२५ इसी प्रकार **नन्द कुमार बनाम छत्तीसगढ़ (२०१५)१ एस सी सी ७७६ में माननीय उच्चतम न्यायालय** ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जरूरी नहीं है कि अभियोजन अपने सभी गवाहो को परीक्षित ही कराये । यदि परीक्षित गवाहो के साक्ष्य से घटना साबित हो जाती है तो अन्य गवाहो को परीक्षित न कराना अभियोजन के लिये घातक नहीं होगा । प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा ही तथ्य था जिससे अन्य गवाहो को परीक्षित नहीं कराया गया है ।

२६ अभियोजन द्वारा पी०डब्लू-३ के रूप में अवधेश बहादुर सिंह को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपने बयान में कथन किया गया कि एम्बुलेंस पर बृजेश सिंह, वीरेन्द्र सिंह व एस पी सिंह की लडकी अर्चना सिंह बैठी थी । मैं भी उसी एम्बुलेंस में मामा होने के नाते बैठ गया । एम्बुलेंस लखनऊ जा रही थी । रास्ते में एस पी सिंह होश में थे व कराह रहे थे । **हरचन्दपुर व बछरांवा के बीच में ढाढस बताते हुये मैंने एसी पी सिंह से पूछा कि यह सब कैसे हुआ तो एस पी सिंह ने बताया कि गिरजा सिंह के लडके व अशोक व गणेश सिंह व गिरिजा सिंह का भतीजा हरिहर सिंह व एक अन्य आदमी ने उन्हें गोली से मारा ।**

२७ बचाव पक्ष की तरफ से १९८९,(क्रि०)३८८

उ० प्र० राज्य बनाम चैतराम एवं अन्य की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है जिसमें यह कहा गया कि मृत्यु कालीन कथन करने वाले व्यक्ति को पहुँचायी गयी चोट की प्रकृति, मेडिकल साक्ष्य, कथन करने वाले की दशा कि वह होशो हवाश में है या नहीं , यदि उपरोक्त सभी दशाएँ सकारात्मक हों तभी मृत्यु कालिक कथन पर विश्वास किया जा सकता है । पी०डब्लू-३ ने अपने बयान के पेज'८ पर यह कथन किया है कि मैंने मजरूब सन्त प्रसाद सिंह से मुलाकात की थी । बयान लेने का प्रयास किया था । ज्यादा घायल होने के कारण बयान देने की स्थिति में नहीं थे जिससे अभियोजन के मृत्यु कालिक कथन वाली कहानी संदिग्ध हो जाती है ।

२८ अभियोजन की तरफ से बचाव पक्ष के उक्त तर्क का खण्डन करते हुये **लक्ष्मन बनाम महाराष्ट्र राज्य (२००२)६ एस सी सी ७१० (पांच जजों की पीठ)**ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मृत्यु कालिक कथन स्वैच्छिक , मौखिक लिखित व अन्य तरीके से ली जा सकती है परन्तु उसकी मानसिक स्थिति के बारे में किसी डाक्टर के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी । प्रस्तुत प्रकरण में गवाह को मृतक के होश आने पर घटना के बारे में बताया होगा परन्तु बचाव पक्ष द्वारा उसका खण्डन नहीं किया जा सका कि जिस समय बयान दिया गया उस समय एस पी सिंह बयान देने की स्थिति में नहीं थे अर्थात् बेहोश थे ।

२९ अभियोजन की तरफ से पी०डब्लू-५ के रूप में विवेचक सतीश कुमार सिंह को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने दिनांक

१८-१२-२०११ को प्रभारी निरीक्षक के रूप में मुकदमा अपराध संख्या ५२०/२०११ अन्तर्गत धारा ३०७ भा०द०स० की विवेचना ग्रहण करना तथा जिला अस्पताल में मजरुब का बयान लेने का प्रयास करना तथा तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण बयान न लेना तथा बयान वादी अन्तर्गत धारा १६१द०प्र०स० अंकित करना तथा एस पी सिंह के लखनउ एम्बुलेंस से भिजवाना तथा वादी मुकदमा को लेकर घटना स्थल का निरीक्षण करना, नक्शा नजरी कागज संख्या ६क अपने लेख व हस्ताक्षर में होना कहा है जिस पर प्रदर्श क-३ डाला गया है । दौरान निरीक्षण घटना स्थल से ४ अदद खोखा कारतूस पीतल व समक्ष गवाह भोला सिंह , नरेन्द्र सिंह कब्जा पुलिस लेकर सर्व मुहर कर मौके पर फर्द कागज संख्या ७क तैयार कर अपनेलेख व हस्ताक्षर में होना तस्दीक किया जिस पर प्रदर्श क-४ डाला गया । दिनांक १९-१२-२०११ को पर्चा ॥ में बयान मृतक ससुर शिव बरन सिंह, सूर्यबक्स सिंह का अंकित किया । करीब १५ दिन पूर्व शाम ५.३० बजे मैं सिविल लाइन चौराहे के पास जा रहा था गिरिजा शंकर ने अपने होटल से आवाज देकर बुलाया कहा उनके लडके गणेश सिंह, अशोक कुमार सिंह तथा भतीजा हरिहर सिंह, हरिहर सिंह का एक अन्य दो जिसका नाम कलाम है ने कहा आप अपने दामाद एस पी सिंह को समझा दो हम लोगो के बगल स्थित प्लाट का पीछा छोड दे आदि बयान किया कि दिनांक १९-१२-२०११ को पर्चा ॥ ए में एस पी सिंह की सूचना वादी से मिलने पर धारा ३०७ भा०द०स० से धारा ३०२ भा०द०स० में मुकदमा तरमीम

किया तथा एच सी पी जितेन्द्र बहादुर सिंह प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक व नकल रपट लेखक का बयान अंकित किया । संदिग्ध अभियुक्त गण गिरिजा शंकर, गणेश, अशोक, हरिहर, कलाम की तलाश उनके घरों व संबंधित स्थानों पर की परन्तु नहीं मिले तथा गोविन्द सिंह का बयान अंकित किया जिन्होंने बताया कि एसी पी सिंह का गिरिजा सिंह की दुकान के बगल वाले प्लॉट का विवाद चल रहा है । दिनांक २०-१२-२००१ को पर्चा 111 के चश्मदीद साक्षी प्रदीप सिंह व पवन सिंह का बयान अंकित किया तथा धमक वाली बात को बताया । दिनांक २१-१२-२००१ को पर्चा ४ में संदिग्ध अभियुक्त की तलाश का उल्लेख किया । दिनांक २२-१२-२००१ को पर्चा ५ गणेश की गिरफ्तारी तथा उसके बयान लेने का अंकन किया तथा गिरिजा सिंह का भी बयान अंकित किया । दिनांक २४-१२-२००१ को पर्चा ७ में सभी अभियुक्तों की तलाश का उल्लेख किया नहीं मिले । दिनांक ०१-०१-२००२ को पर्चा ८ में अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा ८२ व धारा ८३ की आदेशिका प्राप्त की । दिनांक १०-०१-२००२ को पर्चा ९ जी आर पी उन्नाव में प्रथम सूचना रिपोर्ट स० ८६/२००१ अ० स० १५४/२००१ धारा ३/२५ आयुध अधिनियम विरुद्ध गिरिजा सिंह जो दिनांक ०६-१२-२००१ को पंजीकृत हुआ जो धारा ३०२ भा०द०स० के मुकदमें से बचने के लिये खुद को गिरफ्तार करवाया । दिनांक १०-०१-२००२ को सी डी न० ९ए में अभियुक्त अशोक सिंह, हरिहर सिंह, कलाम की तलाशी हेतु धारा ८२ व ८३ की रिपोर्ट न्यायालय को दी गयी । पर्चा १० में मृतका का

पंचायतनामा व पी० एम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी नकल की । पर्चा ११ में अशोक, हरिहर, कलाम की तलाश की । पर्चा १२ में अभियुक्त अशोक सिंह का न्यायालय सी एम एम पर्चा प्राप्त हुआ अंकित कर सलग्न किया । पर्चा १३ व १४ किता किया। अशोक न्यायालय परिसर के लाकब में थे उसका बयान लिया । दिनांक १०-०३-२००२ को पर्चा १५ में अभियुक्त गण गनेश सिंह, अशोक सिंह, हरिहर सिंह के विरुद्ध धारा ३०२ भा०द०स० तथा गिरिजा के विरुद्ध धारा ३०२ व १२० बी भा०द०स० का आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा अभियुक्त कलाम के विरुद्ध आरोप पत्र मफरूरी मे है । आरोप पत्र उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क-५ डाला गया । बन्डल पर वस्तु प्रदर्श १ माचिक की डिब्बी पर वस्तु प्रदर्श २ , खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श ३ ता ६ डाला गया । मौका मुआयना वादी के साथ किया था । उसी की निशादेही पर नक्शा नजरी बनाया । घटना स्थल पर मजरूब का खून नही मिला । कारतूस की पेदी पर जी एफ एल ७६३ एम ए ४५ एफ आर अंकित है ।

३० बचाव पक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवेचक को घटना स्थल से कोई खून मजरूब का नही मिला था तथा मजरूब बयान देने की स्थिति में नही मिला था जिससे बयान अंकित न करना कहा है । इससे अभियोजन कथानक सदिग्ध हो जाता है ।

३१ अभियोजन की तरफ से बचाव पक्ष के उक्त तर्क का खण्डन करते हुये कथन किया गया कि घटना स्थल इलाहाबाद लखनउ

राजमार्ग का होने के कारण मजरूब का खून नहीं मिला था क्योंकि पब्लिक स्थान था। जहां तक बयान देने की स्थिति में न होने का प्रश्न है तो वह दशा विवेचक के पहुँचने के समय की है। इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि वह लगातार बयान देने की स्थिति में नहीं रहा था। इससे अभियोजन कथानक पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

३२ अभियोजन की तरफ से पी०डब्लू-६ के रूप डाक्टर राजेश ओझा को परीक्षित किया गया है जिन्होंने दिनांक १९-१२-२००१ को मृतक ए पी सिंह का पोस्टमार्टम करना है क्योंकि उस दिन वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी में परामर्शदाता के रूप में नियुक्त थे और उनकी डियूटी पोस्टमार्टम करने के लिये लगी थी जिसमें शरीर पर मृत्यु पूर्व की निम्न चोटे पायी गयी -

१- वाहय परीक्षण में २ सर्जिकल ड्रेन के घाव पेट के दोनो तरफ मौजूद थे और उसमें एक-एक टांके लगे थे।

२- सिला हुआ घाव २५ सेमी लम्बा २३ टांको के साथ पेट के बीच में छाती की हडडी से लेकर पेट के निचले भाग तक मौजूदथा।

३- कोलास्टमी घाव ६ टांको के साथ पेट में दाहिनी तरफ मौजूद था।

४- फायर आर्म प्रवेश का घाव १ सेमी गुणे १ सेमी पेट में दाहिनी तरफ १२ सेमी नीचे दाहिने कंधे की हडडी के नीचे कैविटी तक गहरा तथा इसके किनारे अन्दर की ओर मुड़े हुये तथा चारो तरफ छिलनेका

कालर मौजूद था ।

५- फायर आर्म प्रवेश का घाव १ सेमी गुणे १ सेमी गोलाकार कैविटी तक गहरा पेट के दाहिनी तरफ पीछे की ओर इंजरी नं० ४ से ९ सेमी नीचे मौजूद था । घाव के किनारे अन्दर की तरफ मुड़े हुये तथा छिले हुये किनारे मौजूद ।

६- फायर आर्म प्रवेश का निशान पीठ पर बीच में मूछ की हडडी से १२ सेमी उपर किनारे अन्दर की ओर मुड़े हुये तथा छिले हुये ।

७- फायर आर्म निकासी का घाव २ सेमी गुणे २ सेमी कैविटी डीप किनारे कटे हुये तथा बाहर की ओर उभरे हुय नाभि से ६ सेमी उपर ।

८- फायर आर्म निकासी का घाव २ सेमी गुणे ३ सेमी पेट के दाहिनी तरफ नाभि से ३ सेमी दाहिनी ओर किनारे फटे हुये ।

९- फायर आर्म निकास का घाव १.५ सेमी गुणे १ सेमी दाहिने कूल्हे की हडडी से ९ सेमी उपर किनारे पेट पर किनारे बाहर की ओर उभरे हुये एवं फटे हुये ।

आंतरिक परीक्षण में सभी चोटों की गहराई में रक्त का जमाव पाया गया । जिगर का दाहिना हिस्सा फटा हुआ था तथा इसके अन्दर रक्त रोकने के लिये जेलफोम मौजूद था । पेट की बडी आंत की मरम्मत की गयी थी । लगभग दो लीटर जमा हुआ खून पेट में मौजूद था । प्रोब डालकर देखने पर एवं खोलकर देखने पर चोट न० ४ , ५ व ६

क्रमशः सात आठ नौ से कम्युनीकेट कर रही थी । मृतक चिकित्सालय मे १९-१२-२००१ को ७ बजकर ३५ एम एम पर मरा था जैसा कि इन्क्लोजर न० ५ में सलग्न है । **मेरी राय में मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी हुयी चोट से शाक एवं रक्त स्राव से हुयी है** । उक्त साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-६ को अपने लेख व हस्ताक्षर में बताते हुये साबित किया है । पोस्टमार्टम के पश्चाम शाक एवं संबंधित रिपोर्ट उसकी सौप दी गयी । मृतक के शरीर पर उपरोक्त चोटे दिनांक १८-१२-२००१ को ८.३० बजे को आयी हुयी हो सकती है । सभी चोटे फायर आर्म की है । चोटे लगभग ६ फिट की दूरी से आयी हुयी होगी । उक्त राय अपने अनुभव से दे रहा हूँ । चोट पर झुलसर व कालापन किसी चोट से नही आया ।

३३ पी०डब्लू-७ के रूप में अजय अजय कुमार सिंह को परीक्षित किया गया हे जिन्होने मृतक का पंचायतनामा अपने सामने होना कहा हे । उसमें मै भी गवाह था । पंचायतनामा पर उसने हस्ताक्षर किया था पंचायतनामा की उक्त साक्षी ने तस्दीक किया जिस पर प्रदर्श क-७ डाला गया है ।

३४ पी०डब्लू-८ के रूप मे डाक्टर आर के मिश्र को परीक्षित कराया गया है जिन्होने अपने बयान में यह कथन किया है कि दिनांक १८-१२-२००१ को जिला अस्पताल रायबरेली में इ एम ओ के पद पर तैनात था । उस दिन ९ बजे एस पी सिंह की चोटो का मुआयना किया था जिसके शरीर पर निम्न चोटे पायी गयी-

१- चोट न० १ आग्नेयास्त्र की शरीर में प्रवेश करती हुयी दाहिने पीठ के पिछले बाहरी भाग व कमर की बाहरी हडडी से क्रमशः १६ सेमी, १२ सेमी, ७ सेमी उपर स्थित था । उनका व्यास ०.५ सेमी गुणे गहराई जो नही नापा गया इनके साथ साथ आग्नेयास्त्र की प्रवेश करती हुयी चोट दाहिने पेट के सामने व बाहरी भाग पर स्थित था जिनका व्यास ०.५ सेमी था । इन घावो के किनारे काले रंग का ग्रीस का कलर मौजूद था तथा आधार लाल रंग का था । इनके मार्जेज व एजेज अन्दर की तरफ मुडे हुये थे । आग्नेयास्त्र निकास का कोइ चोट मौजूद नही था । पूरे सीने व पेट के एक्सरे की सलाह दी गयी । खून का रक्त स्राव ताजा था तथा मौके पर थोडा थोडा बह रहा था । चुटैल सदमें में जा चुका था । चोटे आग्नेयास्त्र की थी । उक्त साक्षी ने आघात आख्या को अपने लेख व हस्ताक्षर में बताते हुये साबित किया है जिस पर प्रदर्श क-८ डाला गया है । उक्त चोटे दिनांक १८-१२-२००१ की समय लगभग ८.३० बजे की हो सकती है । प्रकृति निगरानी में थी इसलिये मै नही बता सकता कि उक्त चोटे जीवन के लिये घातक थी या नही । उक्त चोटे पिस्टल व कटटे की हो सकती हे । आज आघात आख्या की मूल रिपोर्ट मेरे सामने नही है । ३ चोटे एक साथ आ सकती है ।

३५

अभियोजन की तरफ से पी०डब्लू-९ के रूप में एच सी शशिकांत मिश्र पैरोकर थाना कोतवाली जिला रायबरेली को परीक्षित

किया गया जिन्होंने यह कि वह वर्ष २००१ से इस जनपद में नियुक्त है। एच सी ६ जितेन्द्र बहादुर सिंह मेरे साथ नियुक्त थे जिनके लेख व हस्ताक्षर से वह भली भांति परिचित है। पत्रावली में शामिल चिक संख्या ५४२ / २००१, मुकदमा अ० स० ५२०/२००१, धारा ३०७भा०द०स० एच एम जितेन्द्र बहादुर सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क-९ डाला गया है तथा नकल कायमी जी डी समय २१.३० दिनांकित १८-१२-२००१ किता किया गया जो मूल के साथ एक ही प्रासेस में तैयार किया गया जो भी एच एम जितेन्द्र के लेख व हस्ताक्षर में है जिस प्रदर्श क-१० डाला गया है।

३६ तथा धारा ११४ भा०द०स० में कहा गया है कि " अपराध किये जाते समय दुष्प्रेरक उपस्थित है तो समझा जायेगा कि उसने ऐसा अपराध या कार्य किया है और इसी तरह धारा १०८ भा०द०स० के स्पष्टीकरण-५ में भी कहा गया है।" एवं इस प्रकार धारा १०७ भा०द०स० के खण्ड-२ में यह वर्णित है कि उस बात को करने के लिये किसी षडयंत्र में एक या एक से अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है तो वह दुष्प्रेरण का अपराध करता है।

३७ इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन व आकलन करने से यह स्पष्ट है कि

पी०डब्लू-३ ने स्पष्ट से अपने बयान से यह साबित किया है कि एस पी सिंह को गोली अशोक सिंह, गनेश सिंह, हरिहर सिंह व एक अन्य व्यक्ति कलाम द्वारा मारना मुझसे रास्ते में बताने वाली बात को साबित किया गया है तथा पी०डब्लू-२ धमकी देने वाली बात को साबित करते समय उस समय अशोक सिंह व गनेश सिंह की उपस्थिति में धमकी वाली बात को साबित किया है तथा पी०डब्लू-४ ने अशोक सिंह, गनेश सिंह, हरिहर सिंह व एक अन्य व्यक्ति द्वारा एस पी सिंह को मारना अपने बयान से साबित किया है ।

३८ अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्त गण **गनेश सिंह व अशोक सिंह** के विरुद्ध लगाये गये आरोपो को युक्ति-युक्त रूप से सन्देह के परे साबित करने में पूर्ण रूप से **सफल रहा है** ।

३९ पी०डब्लू-१ प्रथम सूचनाकर्ता है जिसने घटना तो नहीं देखी है परन्तु सूचना पर घटना स्थल से मजरुब को गाडी में लेकर जिला अस्पताल गया है । यद्यपि उसने घटना देखने से इन्कार किया है लेकिन मृतक व अभियुक्त गण में सिविल का विवाद होना कहा है जिससे रंजिश को साबित किया है । पी०डब्लू-२ सूर्यबक्स सिंह ने शिवबरन सिंहसे एस पी सिंह के बावत दी जा रही धमकी वाली बात को तथा वहां पर

अशोक सिंह, गणेश सिंह, हरिहर सिंह की उपस्थिति को साबित किया है तथा पी०डब्लू-३ अवधेश बहादुर सिंह ने रास्ते में एस पी सिंह द्वारा अभियुक्तों के द्वारा उसे गोली मारने की बात को बताने की बात को साबित किया है जिसमें एस पी सिंह ने बताया कि अशोक सिंह, गणेश सिंह, हरिहर सिंह व एक व्यक्ति ने उसे गोली मारी थी। पी०डब्लू-४ ने भी अभियुक्त गण उपरोक्त द्वारा गोली मारते देखने का कथन किया है तथा अपने मौखिक साक्ष्य से साबित किया है।

४० अतः अभियुक्त गण गणेश सिंह व अशोक सिंह को आरोप अन्तर्गत धारा-३०२/३४ व धारा-१२०बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध का **दोषी पाया जाता है**। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। उनके जमानतनामे व बंध पत्र निरस्त करते हुये उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है तथा उनके प्रतिभूगण को उनके-उनके दायित्वो से उन्मोचित किया जाता हैं। अभियुक्त उक्त द्वारा प्रस्तुत धारा ४३७ए द०प्र०स० के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानतनामों को निरस्त किया जाता है। सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली कुछ देर बाद पेश हो।

दिनांक-०८-०४-२०१९

(रामदयाल)

सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

- ४१ पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुयी।
- ४२ अभियुक्त गण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि दोषसिद्ध अभियुक्त गण का यह प्रथम अपराध है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। समस्त परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी अभियुक्त गण पर ही है। अभियुक्त गण एक ही परिवार के सगे भाई है एवं अभियुक्त गनेश सिंह ६६ वर्ष का व अभियुक्त अशोक सिंह ३२ वर्ष का है। दोषसिद्ध अभियुक्त गण को कम से कम दण्ड से दण्डित करने की याचना की गयी।
- ४३ अभियोजन पक्ष की ओर से दोषसिद्ध अभियुक्त गण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का खण्डन करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा षडयंत्र कारित करके हत्या जैसा गम्भीर प्रकृति का अपराध निर्ममता पूर्वक किया गया है। अतः उन्हें किसी प्रकार की सहानुभूति न प्रदान करते हुये उन्हें कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी।
- ४४ पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोषसिद्ध अभियुक्त गण द्वारा षडयंत्र कारित करके हत्या जैसा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है लेकिन उनका यह कृत्य विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है इसलिये उन्हें दोषसिद्ध अपराध में आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायसंगत समझता हूँ।

आदेश

४५ अभियुक्त गण गनेश सिंह व अशोक सिंह को आरोप अन्तर्गत धारा-३०२/३४ व धारा-१२० बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है ।

४६ दोषसिद्ध अभियुक्त गण गनेश सिंह व अशोक सिंह को धारा-३०२/३४ भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं प्रत्येक अभियुक्त को मु.दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

४७ इसी प्रकार दोषसिद्ध अभियुक्त गण गनेश सिंह व अशोक सिंह को धारा-१२०बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं प्रत्येक अभियुक्त को मु० दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

४८ सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी । अभियुक्त उक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि दी गयी सजा की अवधि में समायोजित की

जायेगी ।

४९ दोषसिद्ध अभियुक्त उपरोक्त को दण्ड भुगतने हेतु सजायावी वारण्ट अविलंब बनाकर जिला कारागार, रायबरेली भेजा जाय ।
अभियुक्त गण को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाय ।

दिनांक-०८-०४-२०१९

(रामदयाल)

सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली ।

५० आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

दिनांक-०८-०४-२०१९

(रामदयाल)

सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली ।